—:आदेश:—

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा पट्टा संख्या 25 दिनांक 27.03.1966 को जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि करना नहीं पाये जाने से उक्त पट्टे के विरूद्ध निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

15.3.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 14/2018

1. सुरगा देवी पुत्री सोनाराम पत्नी लादुराम, उम्र 80 वर्ष, जाति नाई, निवासी बूडसू हाल निवासी लिचाणा तहसील नावां।
2. शान्ति देवी पुत्री सोनाराम पत्नी बंकट लाल उम्र 75 वर्ष, जाति नाई, निवासी बूडसू हाल निवासी भदलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. मोहनी पुत्री सोनाराम पत्नी रामेश्वर लाल, उम्र 70 वर्ष, जाति नाई, निवासी बूडसू हाल निवासी नागौरी गेट, डीडवाना तहसील डीडवाना।
4. चुंका देवी पुत्री सोनाराम पत्नी जेठमल उम्र 65 वर्ष, जाति नाई, निवासी बूडसू हाल निवासी कुचामन सिटी।

.....प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल उम्र 50 वर्ष जाति नाई निवासी बूडसू हाल निवासी हनुमान कोलोनी पुलिस थाना कुचामन सिटी के सामने, कुचामन सिटी जिला नागौर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मदन लाल गोद पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र 50 वर्ष जाति नाई निवासी बूडसू तहसील मकराना हाल निवासी बोहरों का बास परबतसर।
3. ग्राम पंचायत बूडसू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बूडसू (पंचायत समिति मकराना) जिला नागौर राज.।
4. सचिव, ग्राम पंचायत बूडसू तहसील मकराना जिला नागौर राज.।

.....अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध निर्णय व प्रस्ताव संख्या 64 दिनांक 27.03.66 ग्राम पंचायत बूडसू पंचायत समिति मकराना जिसके द्वारा गणेशाराम पुत्र दुलाराम नाई के नाम का पट्टा संख्या 25 आबादी भूमि ग्राम बूडसू में से 1347 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी किया है, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री मो0 अली शेरानी प्रार्थी संख्या 01 ता 04 की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–15.03.2021

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ग्राम बूडसू के स्थाई निवासी है व इनकी चल व अचल सम्पति ग्राम बूडसू में स्थित है। निगरानी के बिन्दु संख्या 01 में अंकित वंश वृक्ष अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पिता सोनाराम (फौत) के सगे भाई गणेशराम (फौत) के पौत्र हैं। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त आज से करीब 65 वर्ष पूर्व हो गया तथा प्रार्थीगण के माता पिता ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद पुत्र नहीं रखा था। वर्ष 1965 तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 01 व 02 का घर का एक ही थाला था व संयुक्त परिवार था जिसका कर्ता खानदान स्व0 गणेशाराम था। स्व गणेशाराम ने करीब 50 वर्ष पूर्व सम्वत 2025 में घर थाला के बराबर–बराबर 02 बन्ट कर अलग–अलग चारदीवारी कर उसमें अलग–अलग पक्के मकानात बना लिए जो दक्षिण दिशा का प्रार्थीगण के व उत्तर दिशा का अप्रार्थीगण के दादा व पिता के बंट व कब्जे में आया जो आज तक चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण के हिस्से को समिल्लित करते हुए अपने दादा स्वर्गीय गणेशराम के नाम का एक फर्जी पट्टा बेक डेट में दिनांक 02.04.66 पट्टा संख्या 25 तैयार करवाया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण भूखण्ड जिसमें प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है को बेचान करने पर उतारू है। जबकि

विवादीत पट्टे में वर्णित भूखण्ड का 1/2 दक्षिण दिशा का हिस्सा प्रार्थीगण का पुश्तेनी व पैतृक है, जिसमें प्रार्थीगण जन्म से लेकर आज तक रहती आई है। ग्राम बूडसू की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 02.04.66 शुरू से शुन्य व फर्जी है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है न ही नक्शा नवीस के व न ही नरजी नक्शा है। उक्त पट्टा से संबंधित कोई रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। पट्टा संख्या 25 दिनांक 02.04.1966 जो गणेशराम पुत्र दुलाराम के नाम का बना है, फर्जी व कुटरचित होने से व प्रार्थीगण की जमीन को सम्मिलित करने के कारण उसको निरस्त करना न्यायहित में बहुत ही जरूरी है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार माथुर व लाल सिंह गोदारा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बूड़सू, पंचायत समिति मकराना द्वारा अपने पत्रांक जीपी/19–20/02 दिनांक 10.04.19 द्वारा पट्टा संख्या 25 दिनांक 27.03.1966 की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की व पत्रांक जीपी/19–20/05 दिनांक 15.04.19 द्वारा पट्टा संख्या 25 दिनांक 27.03.1966 गणेशाराम पुत्र श्री दूलाराम से संबंधित पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्यतः प्रस्तुत निगरानी मिमो में किये गये कथन को ही दोहराते हुये पट्टे के संबंध में बहस में मुख्यतः निम्न आपत्ति प्रस्तुत की स्व0 दुलाराम के 02 पुत्र गणेशाराम व सोनाराम थे, दोनों के अलग–अलग मकान बने हुये हैं। सोनाराम की मृत्यु के पश्चात गणेशराम ने दोनो मकानों की भूमि का 01 पट्टा बनवाया था जो गलत है। गणेशराम द्वारा पट्टा बनाने की दरख्वास्त दिनांक 27.03.66 को प्रस्तुत की व ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 05 दिन पश्चात दिनांक 02.04.66 को पट्टा जारी कर दिया गया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी गई। पट्टे में

गणेशाराम की जाती नहीं दी गई है जिससे यह पता नहीं चलता की पट्टा किस गणेशाराम का पेश किया गया है। एक ग्राम में कई गणेशाराम हो सकते हैं। सरपंच के पट्टे में पिछे हस्ताक्षर नहीं है, गवाह के एक ही हस्ताक्षर हैं व गणेशराम के अंगुठा निशान भी पट्टे पर एक तरफ ही हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वक्त बहस फार्म नम्बर 03 के संलग्न दस्तावेजों की सूची पेश की जिसके संलग्न ग्राम पंचायत बूड़सू के प्रत्रांक जीपी/18–19/53 दिनांक 18.08.18 की फोटो प्रति व संलग्नकों की फोटो प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत बूड़सू का सादा कागज पर सोनाराम के वारिसों के संबंध में प्रमाण पत्र व एक फोटो पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी 90 दिवस के पश्चात प्रस्तुत की गई अतः मियाद बहार है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के साथ अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत बूड़सू के प्रस्ताव संख्या 64 जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। न्यायालय को निगरानी में सुरवाई के अधिकार सीमित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने में यदि कोई विधिक त्रुटि अथवा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो तब ही अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने सिविल वाद भी न्यायालय में पेश कर रखा है जो इस निगरानी से पहले का है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में यह कथन किया है कि विवादित जायगा का पट्टा प्रार्थीगण के नाम है जिसकी प्रति प्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में पेश नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2019 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिविल न्याायलय ने भी प्रार्थीगण का उक्त जायगा में कोई प्रार्थीगण का हित नही माना है व मा0 सिविल

अतिरिक्त जिला कलक्टर

न्यायालय के आदेश से यह न्यायालय भी बाउन्ड है अतः निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी गई, पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन व मनन पश्चात इस न्यायालय का यह मत है, कि ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा श्री गणेशाराम को जारी आबादी भूमी का बैनामा संख्या 25 दिनांक 27.03.1966 व ग्राम पंचायत के पाक्षिक बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा जारी बैनामा 25 दिनांक 27.03. 1966 श्री गणेशाराम को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा तत्कालीन सरपंच श्री धारूराम की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.1966 को आयोजित ग्राम पंचायत की 61 वी बैठक में मिसल संख्या 30/1966 में आम बजार में उक्त मिसल के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत 01 माह का नोटिस चस्पा करने का निर्णय लिया जाकर मिसल संख्या 30/1966 में आगामी सुनवाई तिथि 27.03.1966 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 27.03.1966 को सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम पंचायत की 64 वीं बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा मिसल संख्या 30/1966 के संबंध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रति 01 गज पर 82 नया पैसा प्रार्थी से लेकर प्रार्थी को पट्टा बना कर दे दिया जावे।

ग्राम पंचायत बूड़सू के संकल्प संख्या 64 दिनांक 27.03.1966 द्वारा मिसल संख्या 30/1966 के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के तहत श्री गणेशाराम से निर्धारित राशि प्राप्त कर पट्टा संख्या 25 दिनांक 27.03.1966 जारी किया गया है, उक्त पट्टे के उपर पट्टे की मिसल संख्या के स्थान पर 30/1966 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 25/27.03.1966 ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 64 दिनांक 27.03.66 में आर्डर संख्या 03 द्वारा पारित निर्णय के क्रम में ही जारी किया गया है। इस प्रकार पट्टा संख्या 25/27.03.1966 जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बूड़सू द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पायी गयी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना